

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकारInternational Year
of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर

सहकार एवं रोजगार उत्सव

मुख्य अतिथि

श्री अमित शाह

माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

गरिमामय उपस्थिति

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

अन्न भण्डारण योजना
के तहत निर्मित
24 गोदामों का लोकार्पणश्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु
संचालित 64 मिलेट्स
आउटलेट्स का लोकार्पणगोपाल क्रेडिट कार्ड योजना
के तहत 1400 लाभार्थियों को
₹ 12 करोड़ का ऋण वितरणदुग्ध उत्पादक सहकारी
समितियों को 2346 माइक्रो
एटीएम का वितरणश्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
प्लेटफार्म की लॉन्चिंगथानों, सशस्त्र बलों, टूप कैरीअर
तथा प्रशिक्षण हेतु 100 नए
पुलिस वाहनों का फ्लैग ऑफ़

8 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्रों का वितरण

17 जुलाई, 2025 । प्रातः 11:00 बजे । स्थान - दादिया, वाटिका, जयपुर

सहकार से समृद्धि

दादिया में गुरुवार को सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे, युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे- मुख्यमंत्री भजनलाल

■ दादिया में बड़ा सभा स्थल तैयार किया जा रहा है। रिंग रोड पर सभा स्थल पर तीन डोम बनाये गये हैं। तीनों डोम में लगभग एक लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

जयपुर, 16 जुलाई। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को जयपुर के ग्राम दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। इसी क्रम में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा ने कार्यक्रम स्थल पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार आमजन से संकल्प पत्र में किए गये वादों को पूरा कर रही है। अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।



जयपुर के ग्राम दादिया में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को होने वाले सहकार एवं रोजगार उत्सव के सभा स्थल की तैयारियों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, सांसद मदन राठौड़, सीपी जोशी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत मौजूद थे।

युवाओं से किये वादे को पूरा करते हुए गुरुवार को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव में नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता का गांव, किसान,

गरीब और मजदूर से अहम जुड़ाव है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इसके विस्तार से इन वर्गों का उत्थान हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने सभा स्थल का निरीक्षण करते हुए, बैठक, पेयजल, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने व्यवसायी की अवैध हिरासत पर जवाब मांगा

जयपुर, 16 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के एक व्यवसायी को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में भांकरोटा थाने के एसएचओ को 22 जुलाई को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। वहीं, मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर को शपथ पत्र सहित जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने सांगानेर निवासी

■ जयपुर पुलिस कमिश्नर को शपथ पत्र देने व भांकरोटा एसएचओ को उपस्थित होने के निर्देश दिए।

रामदेव हरितवाल की याचिका पर यह निर्देश दिया। अदालत ने आगामी सुनवाई तक मामले की अग्रिम कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। मामले से जुड़े अधिवक्ता मोहित खण्डेलवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता व प्रार्थी के बीच में रुपयों के लेन-देन व इकरारानामे का विवाद था और कोर्ट में सिविल केस लंबित था। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जम्मू-कश्मीर में उर्दू की अनिवार्यता पर मचा बवाल

नायब तहसीलदार परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता के राज्य सरकार के आदेश पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई

■ -जाल खंबाता- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 16 जुलाई। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल-सीएटी) ने जम्मू-कश्मीर सरकार के 9 जून के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें नायब तहसीलदार पद के आवेदकों के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया गया था। नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवारों द्वारा इस शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सीएटी ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन भर्ती बोर्ड (जेकेएसएसआरबी) को निर्देश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर राजकीय भाषाएँ अधिनियम, 2020 के तहत हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी या उर्दू-इन पांच आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखने वाले स्नातक उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें। सीएटी को दो सदस्यीय पीठ, जिसमें

- जम्मू-कश्मीर सरकार के इस आदेश का राज्य भाजपा व कई अभ्यर्थियों ने भारी विरोध किया था।
- फिर कुछ अभ्यर्थियों ने इस आदेश को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी।
- ट्रिब्यूनल की दो सदस्यीय बैंच ने जम्मू-कश्मीर सलैक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड को आदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020, के तहत हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, डोगरी और उर्दू में से किसी भी एक भाषा का जानकार परीक्षा का पात्र है।

न्यायिक सदस्य राजेंद्र डोगरा, जिन्होंने बैंच की अध्यक्षता की, और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी शामिल थे, ने इस शर्त को “प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण” बताया और प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त निर्धारित की।

भाजपा ने सीएटी के इस फैसले का स्वागत करते हुए उर्दू भाषा की अनिवार्यता

को “अवैध और भेदभावपूर्ण” करार दिया है।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक और अधिवक्ता आर. एस. पठानिया ने पत्रकारों से कहा, “हम सीएटी द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के इस अवैध और भेदभावपूर्ण आदेश पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हैं। यह हमारी जीत है।”

एसीबी केस में कनिष्ठ लेखाकार को 17 साल बाद सजा

जयपुर, 16 जुलाई। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2, महानगर द्वितीय ने 17 साल पहले जिला शिक्षा अधिकारी के झुंझुनूं कार्यालय में रिस्वत से जुड़े मामले में तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार शीशराम को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीठासीन अधिकारी प्रहलाद राय शर्मा ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी

■ कनिष्ठ लेखाकार 12 मई 2008 को 5 हजार रुपए की रिस्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत को बताया कि ग्राम कांजड़ा-पिलानी स्थित एक निजी स्कूल के सचिव मंजीत सिंह तंवर ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि स्कूल की सीनियर सैकण्डरी में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘न्यायिक सेवा में तीन साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता ‘मौलिक अधिकारों का उल्लंघन’ है’

एडवोकेट चंद्रसेन यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह दावा किया

■ -जाल खंबाता- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 16 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोंजाल्विस ने सर्वोच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें न्यायालय के उस हालिया निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) पद के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह और के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने 20 मई को निर्णय सुनाया था कि न्यायिक सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को कम से कम तीन साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। कोर्ट ने देश के सभी उच्च

न्यायालयों और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे अपने सम्बन्धित सेवा नियमों में संशोधन कर के इस निर्णय को लागू करें। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जहाँ हाई कोर्ट सिविल जज (जूनियर डिविज़न) के पद के चयन प्रक्रिया इस निर्णय से पहले ही शुरू हो गई है, वहाँ यह नियम लागू नहीं होगा। यह पुनर्विचार याचिका अधिवक्ता सत्य मित्र के माध्यम से दाखिल की गई है। इसमें इस फैसले को 17 आधारों पर चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने, अन्य बिन्दुओं के साथ ही, 1924 से 1986 तक की पाँच विधि आयोग रिपोर्टों को नज़रअंदाज किया है, जिनमें सर्वसम्पति से वकालत की अनिवार्यता

- सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में न्यायिक सेवा के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल कर दिया था और तब से इसके खिलाफ याचिकाएं दायर हुई हैं, इस फैसले को 17 आधारों पर चुनौती दी गई।
- याचिका दायर करने वालों का कहना है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान न्यायिक सेवा में जाने की इच्छुक महिलाओं का होगा, क्योंकि उन पर जल्दी शादी करने का दबाव होता है। इसलिए वे तीन साल प्रैक्टिस की अनिवार्यता की शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगी।

को न्यायिक नियुक्तियों के लिए अनिवार्य मानने से इनकार किया गया था। इसके अलावा, याचिका में दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट (2022) का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के

पात्रता नियमों को लागू करने से पहले, विस्तृत परामर्श की प्रक्रिया आवश्यक है। पुनर्विचार याचिका के अनुसार, इस निर्णय में भारत के ज़ुडिसियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं विकास की अनेकड़ी की

गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2002 के बाद से राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा एक साल का “स्ट्रक्चर्ड” पूर्व-सेवा प्रशिक्षण, जिसमें एक साल का रोजिंडेन्सियल प्रोग्राम भी शामिल है, अदालती और प्रशासनिक संलग्नता, और सख्त निर्देशों वाली न्यायालय की कार्यप्रणाली, साक्ष्य कानून, और स्थानीय कानूनी प्रक्रियाओं पर गहन प्रशिक्षण दिया जाता रहा है, जिससे नए जजों की तैयारी सुनिश्चित होती है। याचिका में प्रक्रिया संबंधी निष्पक्षता (प्रॉसिजरल फेयरनेस) के बारे में प्रश्न खड़े किये गये हैं। पिछली सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालयों से प्राप्त शपथ-पत्रों को सार्वजनिक नहीं

किया गया और न ही उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया था, तथा इस प्रकार उन्हें प्रतिक्रिया देने या प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिल सका था। इसके अतिरिक्त, महिलाओं पर प्रायः कम उम्र में विवाह करने का दबाव रहता है, इसलिए वे वकालत की अनिवार्य अवधि पूरी नहीं कर पातीं। तीन साल की वकालत की अनिवार्यता से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को नुकसान होने की बात कही गई, क्योंकि उन्हें वरिष्ठ वकीलों का मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहयोग नहीं मिल पाता है। याचिका में यह दलील भी दी गई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव आदि को नोटिस जारी किये।

एसीएस गृह और जयपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश साजिया खान व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रिपुदमन सिंह नरुक्षा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में शहर की निचली अदालतों में सरकारी वकील के तौर पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत को “‘फिफ्थ जैनरेशन” लड़ाकू विमानों को शामिल करने की स्वीकृति मिली

यह विमान भारत स्वयं “डीआरडीओ” में विकसित कर रहा है। इन आधुनिकतम विमानों को शामिल करने के बाद अमेरिका, रूस व चीन की श्रेणी में आ जायेगा भारत, जिनके पास “‘फिफ्थ जैनरेशन” आधुनिकतम लड़ाकू विमान की टुकड़ी है

सुप्रीम कोर्ट का “उदयपुर फाइल्स” पर रोक हटाने से इन्कार

उदयपुर, 16 जुलाई (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक हटाने से फिलहाल इन्कार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की बैंच ने ये निर्देश फिल्म निर्माता कंपनी, जानी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

■ अदालत ने मौखिक टिप्पणी की कि फिल्म के रिलीज होने से मामले का ट्रायल प्रभावित हो सकता है।

जानकारी के अनुसार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अगर उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज होती है तो मामले में चल रहा ट्रायल प्रभावित हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह बड़ा नुकसान होगा। अगर मूवी की रिलीज में देरी हो रही है तो आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सुआवजा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की ओर से गठित कमेटी से भी कहा है कि वह मामले में जल्द फैसला ले।

प्रार्थी के वकील गौरव भाटिया ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ -सुकुमार साह- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 16 जुलाई। पाकिस्तान के साथ अपनी पश्चिमी सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका में बने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जल्द ही फ्रंटलाइन पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही, भारत के घरेलू 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट- “एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए)” को भी हरी झंडी मिल गई है।

ये दोनों पहल भारत की वायु शक्ति को अभी और भविष्य, दोनों में मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है, खासकर तब, जब क्षेत्र में तनाव और शक्ति संतुलन तैजी से बदल रहे हैं। 21 जुलाई को एएच -64ई अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर उतरेगी, जिससे भारतीय सेना की हमलावर और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को “टैंक्स इन द एयर”

■ साथ ही, 21 जुलाई को “‘अपाची हेलिकॉप्टर” जिन्हें “टैंक्स इन दी एयर” भी कहा जाता है, की पहली टुकड़ी हिण्डन एयर फोर्स स्टेशन पर पहुँचेगी, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए।

■ भारतीय सेना ने इन अपाची हेलिकॉप्टर की सप्लाई के लिए, 15 माह पहले ऑर्डर दिया था, पर, कई कारणों से, विशेषकर यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण, हेलिकॉप्टरों की सप्लाई में भारी विलम्ब हो गया था। पर, अब ये हेलिकॉप्टर, हिण्डन एयरबेस पर पहुँच रहे हैं।

■ भारत की इसी बढ़ी हुई हवाई ताकत की बराबरी करने में अभी पाकिस्तान को काफी समय लगेगा।

अर्थात “हवाई तोपखाना” कहा जाता है, क्योंकि ये अत्याधुनिक टारगेटिंग सिस्टम, नाइट विज़न नेविगेशन और मल्टी-रोल सेंसर से लैस हैं। ये हर मौसम और कई तरह के मिशनो, जैसे फ्रंटलाइन हमला, शांति मिशन और निगरानी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि, इनकी डिलीवरी लगभग

15 महीने की देरी से हो रही है, जिसकी वजह कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक कारणों से आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाएं रही हैं। भारतीय वायुसेना पहले से ही पठानकोट और जोरहट में अपाचे के दो स्क्वाड्रन चला रही है। उन्हें ये (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र बहुत सोच समझकर लिखा है

नायडू ने मतदाता सूची में “रिविज़न” कर चिंता जताई है, जिससे मुसलमानों का मताधिकार संकट में पड़ सकता है

■ नायडू मुस्लिम मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो “रिविज़न” में मताधिकार खोने की आशंका व भ्रम से आतंकित हैं।

■ नायडू, मोदी व संघ परिवार के बीच सब कुछ ठीक न होने की चर्चा से प्रभावित हैं। अगर मोदी पचहत्तर साल की उम्र पार करने के बाद, प्र.मंत्री पद त्यागते हैं तो संघ व भाजपा के संबंधों में नये समीकरण बनेंगे। नायडू, इन नये समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए, मतदाता सूचियों पर अपना विकल्प खुला रखना चाहते हैं।

हलकों में बहस छेड़ दी है, और कई विश्लेषकों का मानना है कि यह पार्टी की एक रणनीतिक कोशिश है, ताकि पार्टी स्वयं को मतदाता सूची प्रबंधन के कथित सांप्रदायिक एजेंडे से दूर दिखा सके।

जहाँ नायडू अब भी भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, वहीं, टीडीपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी पर बिल्कुल स्पष्ट रुख

अपनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मिश्रित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता इस बात की लेकर चिंतित हैं कि यदि टीडीपी निर्वाचन आयोग के कदमों का समर्थन करती दिखाई देगी, तो पार्टी को मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

इस बीच, नायडू अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं। उनकी सरकार को केन्द्र से वित्तीय

सहायता का लाभ मिला है, खासकर पिछले चुनावी चक्र में। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार, नायडू की रणनीति में व्यावहारिकता और पूर्वानुमान, दोनों शामिल हैं। उसमें यह भी शामिल है कि चूँकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसी साल 75 वर्ष के हो जाएंगे, इसलिए भाजपा और आरएसएस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना पैदा हो सकती है। संघ परिवार के भीतर भी मोदी की नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ने की खबरें हैं। हालांकि नायडू की एनडीए से तत्काल बाहर निकलने की कोई योजना नहीं है, लेकिन टीडीपी सूत्रों की मानें, तो वे संघ-भाजपा के बदलते समीकरणों और राज्य स्तर की राजनीतिक हलचलों पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल, टीडीपी सर्तकता से सहयोग की नीति पर चल रही है, लेकिन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस शासन में लगे सरकारी वकीलों को हटाने पर अंतरिम रोक

जयपुर, 16 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान शहर की निचली अदालतों में नियुक्त हुए सरकारी वकीलों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने इन्हें कार्य करते रहने देने की अनुमति दी है। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव,

